कार्यालय जिलाधिकारी, इटावा।

(जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–संग्रह अनुभाग)

पत्रांकः154 /सी0आर0ए0–दै0आ0/बाढ–खाद्यान्न/ई–टेण्डर/2021 दिनांक : अगस्त 16 ,2021

ई–निविदा सूचना

शासनादेश संख्या 414/एक–11–2021–06 (जी)/2019 दिनांक 21 जून, 2021 के क्रम में वर्ष 2021–22 में बाढ़ से प्रभावितों व्यक्तियों/परिवारों को राहत सामग्री की आपूर्ति किए जाने एवं उसे जनपद की सम्बन्धित तहसीलों/मुख्यालय पर उपलब्ध कराने हेतु एतद्द्वारा पंजीकृत फर्म/संस्था/एजेन्सी से दिनांक 16–08–2021 से 21–08–2021 की दोपहर 12–00 बजे तक ई–निविदा स्वीकार की जायेगी तथा दिनांक 21–08–2021 की अपरान्ह 3–00 बजे प्राप्त ई–निविदाओं को निविदादाताओं की उपस्थिति में गठित समिति के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) इटावा के कार्यालय कक्ष, इटावा में खोली जायेंगी।

खाद्यान्न सामग्री का विवरण एवं ई–निविदा की शर्ते निम्न प्रकार हैः–

खाद्यान्न सामग्री का विवरण

➤ प्रथम पैकेट में निम्न राहत खाद्यान्न सामग्री रखी जायेगीः–

1–लाई	05 किग्रा0 (2.5 किग्रा0 के 02 पैकेट)
2–भूना चना	02 किग्रा0
3–गुड़	01 किग्रा0 (प्लास्टिक पैक में)
4–बिस्कुट	10 पैकेट
5–माचिस	01 पैकेट
6–मोमबत्ती	01 पैकेट
7–नहाने का साबुन	02

➤ द्वितीय पैकेट में निम्न राहत खाद्यान्न सामग्री रखी जायेगीः–

1–आटा	10 किग्रा0
2–चावल	10 किग्रा0
3–अरहर दाल	02 किग्रा0
4–नमक	500ग्राम
5–हल्दी	250ग्राम
6–मिर्च	250ग्राम
7–धनिया	250ग्राम
8–रिफाइन्ड	01 लीटर

10 किग्रा0 आलू जालीदार पैकेट में। (अलग से)

नियम व शर्ते

1– ई–निविदा प्रपत्र के साथ रू0 1,000–00 (रू0 एक हजार मात्र) का बैंकर्स चेक/डी0डी0 जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, इटावा के पक्ष में देय होगा, आवेदन शुल्क के रूप में ई–टेण्डर http://e-tender.up.nic.in पर अपलोड करते हुये मूलरूप में कार्यालय में जमा करना होगा।

2– निविदादाताओं द्वारा धरोहर धनराशि रू0 1,00,000–00 (रू0 एक लाख मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक का डी0डी0/एफ0डी0आर0/डाकघर बचत पत्र (Refundable) जिलाधिकारी, इटावा के नाम बन्धक कराते हुए प्रस्तुत करना होगा, जिसकी स्कैन कापी ऑनलाइन निविदा में सबमिट की जायेगी। उक्त धनराशि का कार्य समाप्ति के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय से वापस प्राप्त की जा सकती है।

3– तकनीकी बिड के साथ ई–निविदा शुल्क मु0 1,000–00 एवं धरोहर राशि रू0 1,00,000–00 की धनराशि का उपरोक्तानुसार डी0डी0 आदि का टिन/जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र/सी0ए0 द्वारा प्रमाणित फर्म का टर्न ओवर रू0 50–लाख वार्षिक आदि ई–टेण्डर पोर्टल पर स्कैन कर समस्त अभिलेख अपलोड करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर मूलरूप में जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–संग्रह अनुभाग, कलैक्ट्रेट, इटावा में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त अभिलेखों को निर्धारित अवधि में जमा न करने की स्थिति में सम्बन्धित ई–निविदादाता की ई–निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत निविदा के निविदाकर्ता को अल्प सूचना पर तत्काल/तुरन्त खाद्यान्न सामग्री निर्धारित पैकेटों में तैयार कराकर गन्तव्य स्थान पर उपलब्ध करायी जायेगी। आपूर्ति किए जाने वाली खाद्यान्न सामग्री को गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने हेतु कोई अतिरिक्त भाड़ा देय न होगा। यदि समय से आपूर्ति नहीं की जाती है और वांछित पैकेटिंग में आपूर्ति नहीं होती है तो धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

5– ई–निविदादाता द्वारा सभी वस्तुओं के रेट तथा गतंव्य स्थान तक खाद्यान्न सामग्री पहुंचाने का समस्त कर व भाड़ा जोड़कर ही प्रस्तावित करना होगा, क्यों कि निविदादाता को किसी भी प्रकार का कर तथा सामग्री लाने ले जाने व निर्देशित स्थानों तक पहॅुचाने का भाड़ा अलग से नहीं दिया जायेगा।

6– किसी भी निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी, इटावा को होगा।

7– प्राविधानित सभी वस्तुएं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/जिला पूर्ति अधिकारी की मांग पर अत्यन्त ही अल्प समय पर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

8– ई–निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश के क्रम में आपूर्ति खाद्यान्न सैम्पुल के आधार पर आपूर्ति नहीं की जाती है, तथा ई–निविदा आमंत्रणकर्ता अथवा प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण करने के दौरान यदि यह पाया गया कि खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री नमूने के अनुसार आपूर्ति नहीं की गयी है, तो आपूर्ति आदेश निरस्त करते हुये ई–निविदादाता की धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने के साथ ही 02 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

9– स्वीकृत ई–निविदादाता मांग के अनुसार खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति करने पश्चात फर्म/संस्था/ एजेन्सी का निर्धारित बिल सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को प्रस्तुत करना होगा, जिसका सत्यापनोपरान्त समस्त कटोतियों के उपरान्त ई–पैमेंट के माध्यम से सम्बन्धित के खाते में भुगतान किया जायेगा।

10–आपूर्ति की गई खाद्यान्न सामग्री में से पैकेट आदि का भार काटकर बजन की गणना की जायेगी।

11– आलू के मामले में बड़े साइज का आलू ही स्वीकार किया जायेगा। आलू हरा नहीं होना चाहिए। यदि छोटा आलू मिलाया जाता है तो उसको छांटकर बजन की गणना की जायेगी एवं तद्नुसार बिल से धनराशि की कटौती की जायेगी।

12– लाई केवल धान की स्वीकार की जायेगी, रवे अथवा मैदा से बनाई गई लाई स्वीकार नहीं की जायेगी।

13– खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति उच्च गुणवत्ता की होगी।

14– ई–निविदा खोले जाने के समय ई–निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्न सामग्री का (सैम्पल सेट) गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जो कि उच्च गुणवत्तायुक्त होना चाहिए। जिन ई–निविदादाताओं द्वारा सैम्पल गठित समिति के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

15–ई–निविदादाता को 100–00 रू0 के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी संस्था किसी भी सरकारी कार्यालय/उ0प्र0 सरकार/संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाली गई है।

16–ई–निविदादाता द्वारा गत 03 वर्षो में बाढ़/सूखा/किसी अन्य विभाग में खाद्यान सामग्री आपूर्ति का सरकारी कार्यालय में अनुभव होना अनिवार्य होगा तथा विगत 03 वर्षो के कार्यादेश ई–निविदा के साथ दाखिल किया जाना अनिवार्य होगा।

17– खाद्य सामग्री हेतु 02 अलग–अलग गत्ते के पैकेट बनाये जायेंगे।

18– पैकेट की साइज, ऊंचाई 25 सेमी0,लम्बाई 48 सेमी0 एवं चौड़ाई 30 सेमी0 होगी। जिस पर बाहर की तरफ पैकेट के अन्दर रखी हुयी खाद्य सामग्री एवं उसकी मात्रा अंकित की जायेगी। पैकेट के एक तरफ उ0प्र0शासन का मोनोग्राम एवं मा0 प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार एवं मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार की फोटो तथा दूसरी तरफ पैकेट में रखी बाढ़ राहत सामग्री का विवरण एवं मात्रा अंकित किया जायेगा तथा 10 किग्रा0 आलू जालीदार पैकेट में अलग से राहत सामग्री के साथ में दिया जायेगा।

19–आपूर्ति का आदेश आवश्यकतानुसार ही निर्गत किया जायेगा।

20–उक्त निविदा सूचना http://e-tender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

उक्त नियम व शर्ते तथा आपूर्ति किए जाने वाली सामग्री का विवरण ई–निविदा पोर्टल http://e-tender.up.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

<u>संलग्नक–भाग–1 तकनीकी भाव पत्र व भाग–2 वित्तीय भाव पत्र।</u>

(जय प्रकाश)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
इटावा।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>–निम्नलिखित को अपने–अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु प्रेषितः–

1–जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2–समस्त उप जिलाधिकारी, इटावा/भरथना/सैंफई/जसवन्तनगर/चकरनगर/ताखा।

3–अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, इटावा।

4–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), इटावा को ई–निविदा को एन0आई0सी0 की जनपदीय बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

5–ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (ई–डीएम), इटावा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विषयक ई–निविदा को उपरोक्त बेवसाइट पर तत्काल अपलोड करवाकर अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6–समस्त तहसीलदार, इटावा/भरथना/सैंफई/जसवन्तनगर/चकरनगर/ताखा।

7–समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बढ़पुरा/बसरेहर/जसवन्तनगर/भरथना/महेवा/चकरनगर/ताखा/सैंफई।

8–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, इटावा, भरथना, जसवन्तनगर व इकदिल, बकेवर, लखना।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
इटावा।

(निविदा मूल्य–1000–00रू0)

(बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र)

भाग–1

<u>तकनीकी भाव पत्र</u>

1–फर्म / संस्था / एजेन्सी का नाम . . . .

2–फर्म / संस्था / एजेन्सी के स्वामी का नाम . . . .

3–पिता का नाम . . . .

4–पूरा पता. . . . .

5–दूरभाष नम्बर .मोबाइल नम्बर. . . . .

6–फर्म की पंजीयन सं0 . . . . .प्रभावी दिनांक . . . .

7–खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का पंजीयन सं0 . . . . .प्रभावी दिनांक . . . .

8–टिन / जी0एस0टी0 का पंजीयन सं0 . . . . .प्रभावी दिनांक . . . .

9–पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें . . . .

10–निविदा शुल्क रू0 1,000–00 के बैकर्स चेक / डी0डी0 का विवरण . . . .

11–धरोहर राशि रू0 1,00,000–00(रू0 एक लाख) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो का डी0डी0 / एफ0डी0आर0 / डाकघर बचत पत्र संख्या . . . .

12–फर्म का टर्न ओवर प्रमाण पत्र . . . .

13–अनुभव का विवरण साक्ष्य सहित . . . .

. . . .

<u>घोषणा</u>

मैंने / हमने ई–टेण्डर की कलैक्ट्रेट, इटावा / समस्त तहसीलों / जिला पंचायत इटावा / समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर चस्पा की गई सूचना एवं ई–निविदा पोर्टल http://e-tender.up.nic.in पर अपलोड की गई ई–निविदा की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म / संस्था का नाम व पता सील सहित

.(बाढ़ से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र)

भाग–2

<u>वित्तीय भाव पत्र</u>

1–फर्म / संस्था / एजेन्सी का नाम . . . .

2–फर्म / संस्था / एजेन्सी के स्वामी का नाम . . . .

3–पिता का नाम . . . .

4–पूरा पता. . . . .

खाद्यान्न सामग्री का विवरण

➤ **<u>प्रथम पैकेट में निम्न राहत खाद्यान्न सामग्री रखी जायेगीः–</u>**

1–लाई	05 किग्रा0 (2.5 किग्रा0 के 02 पैकेट)
2–भूना चना	02 किग्रा0
3–गुड़	01 किग्रा0 (प्लास्टिक पैक में)
4–बिस्कुट	10 पैकेट
5–माचिस	01 पैकेट
6–मोमबत्ती	01 पैकेट
7–नहाने का साबुन	02

➤ **<u>द्वितीय पैकेट में निम्न राहत खाद्यान्न सामग्री रखी जायेगीः–</u>**

1–आटा	10 किग्रा0
2–चावल	10 किग्रा0
3–अरहर दाल	02 किग्रा0
4–नमक	500ग्राम
5–हल्दी	250ग्राम
6–मिर्च	250ग्राम
7–धनिया	250ग्राम
8–रिफाइन्ड	01 लीटर

<u>10 किग्रा0 आलू जालीदार पैकेट में। (अलग से)</u>

<u>घोषणा</u>

मैंने / हमने ई–टेण्डर की कलैक्ट्रेट, इटावा / समस्त तहसीलों / जिला पंचायत इटावा / समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर चस्पा की गई सूचना एवं ई–निविदा पोर्टल http://e-tender.up.nic.in पर अपलोड की गई ई–निविदा की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म / संस्था का नाम व पता सील सहित